न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 16/16–17

महात्मा मालतो बनाम् **रैयान, मौजा–जुड़गुड़ा**

5.7.17

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदक महात्मा मालतो, पे0–स्व0 धर्मा पहाड़िया, सा0–जुड़गुड़ा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा–जुड़गुड़ा नं0–07 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन की जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–194/रा0, दिनांक–18.04.2016 से प्राप्त है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– जुड़गुड़ा नं0–07 प्रधानी मौजा है। मौजा– जुड़गुड़ा, थाना नं0–07 के अंतर्गत जमाबंदी नं0–14 के जमाबंदी रैयत चांदु पहाड़िया, प्रधान के छरपोता के पुत्र है। आवेदक के पिताजी स्व0 धर्मा पहाड़िया, प्रधान द्वारा तीन शादी किया गया था, जो उसकी तीसरी पत्नी स्व0 रूपी मालतो उक्त प्रधानी मौजा की अंतिम प्रधान थी, जिसकी मृत्यु दिनांक–28.10.2015 को हो गई। आवेदक महात्मा मालतो गत प्रधान स्व0 रूपी मालतो के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् वंशानुगत आवेदक महात्मा मालतो को मौजा– जुड़गुड़ा नं0–07 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को प्रधानी नियुक्ति आवेदन पर आपत्ति देने हेतु इस न्यायालय के डी0बी0 सं0–244/रा0, दिनांक–24.05.2016 द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। सोलह आना रैयतों से नोटिस तामिला कराया गया। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के सोलह आना रैयतों से सामान्तया स्वीकार्य योग्य है तथा संथाल परगाना काश्तकारी नियम 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता देने का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के सोलह [illegible] किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं है एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर [illegible] प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा [illegible] के तहत् मौजा– जुड़गुड़ा, थाना नं0–07 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक साल का खजाना कोषागार में जमा कर चालान की प्रति के साथ कबुलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

17-5-18 नव नियुक्त प्रधान ~~श्री~~ महात्मा मालतो के द्वारा जमानत की राशि का कोषागार चलान की प्रति के साथ कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा हस्ताक्षरित। निर्गत करें।

अनु० पदा०
महागामा